

## प्रस्तावना

मुझे परमाणु ऊर्जा विभाग का "लेखा एक नजर में" का अद्यतन अंक आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए बेहद खुशी है।

यह प्रकाशन संघ सरकार के वित्त एवं लेखा विनियोजन में प्रतिबिंबित परमाणु ऊर्जा विभाग की गतिविधियों का विस्तृत परिप्रेक्ष्य देने के उद्देश्य से वार्षिक आधार पर तैयार किया गया है। टेबलों, चार्टों, डायग्रामों और ग्राफों के माध्यम से तर्कपूर्ण पद्धति द्वारा सूचना प्रस्तुत करने के लिए सभी प्रयास किये गये हैं।

मुझे विश्वास है, कि यह दस्तावेज सूचनाप्रद एवं उपयोगी होगा। अगले अंक की सामग्री में और सुधार लाने हेतु सूचनाओं और टिप्पणियों का स्वागत है।

दिनांक : 29/09/2017

मुंबई - 400 001.

रुप. श्रियान

मुख्य लेखा नियंत्रक



## विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1
2	सरकारी लेखा	2 - 3
3	प्रधान लेखा कार्यालय की गतिविधियाँ	4 - 6
4	वार्षिक लेखा की सुर्खियाँ	7
5	वार्षिक लेखा	8 - 21
6	व्यय का मासिक रूझान	22 - 23
7	वर्ष 2016-17 के दौरान की प्राप्तिyaँ	24 - 25
8	वित्तीय परिणाम	26 - 32
9	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	33
10	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिए गए ऋण	34
11	वर्ष 2016-17 के लिए क्षेत्रवार योजना एवं गैर-योजना व्यय	35
12	शीर्षवार व्यय	36 - 37
13	वर्ष 2016-17 के लिए संयुक्त अनुदान को दर्शानेवाला विवरण	38
14	आंतरिक निरीक्षण स्कंध	39 - 48
15	अनुलग्नक-I	49



## अध्याय 1

### प्रस्तावना

परमाणु ऊर्जा विभाग (परुवि) का गठन 03 अगस्त, 1954 को किया गया था। परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम बहुआयामी प्रकृति के हैं, जो विद्युत उत्पादन, विकिरण प्रौद्योगिकी के विकास और कृषि, चिकित्सा, उद्योग और अनुसंधान के क्षेत्रों में उनके अनुप्रयोग हेतु परमाणु ऊर्जा के उपयोग के लिए हैं।

परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अपनाये जा रहे कार्यक्रम निम्नलिखित अधिदेश के अनुसार हैं :-

- स्वदेशी तथा अन्य प्रमाणित प्रौद्योगिकियों के प्रसार द्वारा परमाणु विद्युत के हिस्से को बढ़ाना, और साथ ही संबद्ध ईंधन चक्र सुविधाओं सहित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तथा थोरियम रिएक्टरों को विकसित करना;
- रेडियोआइसोटोपों का उत्पादन और चिकित्सा, कृषि तथा उद्योग के क्षेत्र में विकिरण प्रौद्योगिकी संबंधी अनुप्रयोग करने के लिए अनुसंधान रिएक्टरों का निर्माण और उनका परिचालन करना;
- त्वरकों, लेसरों, सुपरकम्प्यूटरों, प्रगत पदार्थों तथा यंत्रीकरण जैसी प्रगत प्रौद्योगिकियाँ विकसित करना तथा उद्योगों को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण हेतु प्रोत्साहित करना;
- नाभिकीय ऊर्जा तथा विज्ञान से संबद्ध अग्रणी क्षेत्रों में मूलभूत अनुसंधान को समर्थन देना; विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थानों के साथ परस्पर आदान-प्रदान करना;
- परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यक्रमों से संबंधित अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं को समर्थन देना और अनुसंधान के संबद्ध प्रगत क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना, तथा;
- राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना।

## अध्याय 2

### सरकारी लेखा

सरकारी लेखा निम्नलिखित तीन भागों में रखे गए हैं:

#### 1. भारत की समेकित निधि :


सरकार द्वारा आयकर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, भू-राजस्व जैसे कराधान से प्राप्त होने वाले सभी राजस्व तथा सरकारी कामकाज से प्राप्त होने वाली सभी प्राप्तियों को समेकित निधि में क्रेडिट किया जाता है। इसी तरह, लोक अधिसूचनाएं, राजकोषीय बिल और विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थानों से प्राप्त किए गए ऋणों और ऋणों के पुनर्भुगतान एवं उन पर देय ब्याज के भुगतान से सरकार को प्राप्त राशि को भी इस कोष में जमा किया जाता है। आंतरिक और बाह्य ऋणों के पुनर्भुगतान एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण जारी करने सहित अपने व्यवसाय के संचालन के लिए सरकार द्वारा किए गए सभी व्यय इस निधि के नामे लिखे जाते हैं। भारत की समेकित निधि को तीन मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, यथा राजस्व भाग, पूंजी भाग और लोक ऋण एवं ऋण तथा अग्रिम आदि।

#### 2. भारत की आकस्मिकता निधि:

प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए और सरकार द्वारा प्रस्तावित नई नीति, जिस पर संसद का अनुमोदन होना बाकी हो, उसे क्रियान्वित करने के लिए इस निधि का उपयोग किया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान योजना / परियोजना पर होने वाले कुल व्यय इंगित करते हुए प्रस्तुत विधेयक को संसद का अनुमोदन मिलने के पश्चात, इस निधि से पहले ही व्यय किए गए धन को भारत की समेकित निधि में संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष इत्यादि से घटाकर भारत की आकस्मिकता निधि में पुनः प्राप्त किया जाता है ।

### 3. भारत का सार्वजनिक खाता :

सरकार द्वारा प्राप्त किया गया सभी सार्वजनिक धन, जो भारत की समेकित निधि में जमा किए जानेवाले धन के अतिरिक्त है, को सार्वजनिक खाते में जमा किया जाता है। इस खाते के अंतर्गत प्राप्तियाँ मुख्य रूप से बचत प्रमाण पत्रों की बिक्री, सामान्य भविष्य निधि और सार्वजनिक भविष्य निधि के अंशदान, प्रतिभूति जमा और पेशगी धन जमा के रूप में जमा निधि से होती हैं। सार्वजनिक खाते में विविध-उचिन्त लेखाशीर्ष और धन-प्रेषण लेखाशीर्ष भी सम्मिलित हैं।



## अध्याय - 3

### प्रधान लेखा कार्यालय की गतिविधियां

सचिव, पऊवि इस विभाग का मुख्य लेखांकन प्राधिकारी होता है। मुख्य लेखा नियंत्रक के अधीन प्रधान लेखा कार्यालय, लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित तरीके से लेखाओं का समेकन करता है। इस विभाग की विभिन्न संघटक इकाइयों में 24 भुगतान एवं लेखा अधिकारी (पीएओ) तथा 8 उप भुगतान एवं लेखा अधिकारी (एसपीओ/ डीडीओ) कार्यरत हैं। भुगतान एवं लेखा अधिकारियों (पीएओ) और उप भुगतान एवं लेखा अधिकारियों का विवरण संलग्नक-1 में दिया गया है।

वर्तमान में, प्रधान लेखा कार्यालय में मुख्य लेखा नियंत्रक के अधीन एक संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा), एक उप लेखा नियंत्रक और दो सहायक लेखा अधिकारी होते हैं। दो अनुभाग नामतः "नियंत्रण" और "वित्त लेखा" है, मासिक लेखा का संकलन, वार्षिक लेखे तैयार करने, सार्वजनिक खातों के लिए बजट तैयार करने, पावतियां, समग्र अनुदान एवं पेंशन, सीओएमपीएसीटी के कार्यान्वयन के मॉनीटरन, नई पेंशन प्रणाली, डीडीआर बैलेंस को बनाए रखना, एमआईएस रिपोर्ट तैयार करने और विभिन्न रिटर्न एवं रिपोर्टों के संकलन का कार्य करते हैं।

नियंत्रण एवं वित्त लेखा अनुभाग दोनों पूर्णतः कंप्यूटरीकृत हैं और इनमें सांविधिक आवश्यकता के अनुसार हस्तलिखित अभिलेख बहुत ही कम बनाए जाते हैं। ये दोनों अनुभाग, विभिन्न वेतन एवं लेखा कार्यालयों और लेखा महानियंत्रक कार्यालयों, सीपीएओ और एमओएफ के साथ संपर्क में रहते हैं। पीएओ से प्राप्त होने वाली मासिक लेखे और अन्य रिपोर्टें ईमेल के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं।

भुगतान एवं लेखा अधिकारियों से ई-मेल द्वारा प्राप्त होने वाले मासिक लेखे प्राप्त किए जाते हैं, और उन्हें डाउनलोड किया जाता है तथा कार्यालय में विकसित अटैचमेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनकी आवश्यक संवीक्षा की जाती है। जब यह पुष्टि हो जाती है, कि लेखों में पूरी तरह से सुधार किया जा चुका है, तब लेखा महानियंत्रक द्वारा विकसित एवं प्रदान किए गए कांटेक्ट सॉफ्टवेयर में इसे समाविष्ट किया जाता है।

समेकित लेखा, जिसे सीजीए के कार्यालय में अगले माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत करना होता है, उसे सामान्य तौर पर माह की लगभग 10 तारीख तक प्रस्तुत कर दिया जाता है। समेकित लेखा, ईमेल के माध्यम से लेखा महानियंत्रक कार्यालय को प्रेषित किया जाता है और उसे ई-लेखा पर भी अपलोड किया जाता है। प्रत्येक माह के पहले या दूसरे कार्य दिवस को खर्च/ पावतियां की रिपोर्ट सीजीए को "फ्लैश रिपोर्ट" के माध्यम से नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाती है। मुख्य लेखा नियंत्रक अपने मासिक अ.शा. पत्र के माध्यम से लेखा महानियंत्रक को विभिन्न उच्चतम शीर्षों की स्थिति, बिल एवं चेक के समाधान, सेवानिवृत्त लाभ के निपटान से संबंधित सूचना, उपयोगिता प्रमाणपत्र पावती इत्यादि की सूचना देता है।

वर्तमान माह तक के खर्च की प्रगति को दर्शाने वाले विवरण, लेखा के समेकन के तुरंत बाद समीक्षा, आकलन इत्यादि हेतु वेतन एवं भुगतान अधिकारी के पास भेजा जाता है। वेतन एवं भुगतान अधिकारी के स्तर की समीक्षा के अलावा, मुख्य लेखा कार्यालय भी खर्च, पावतियां और डीडीआर शीर्षों की गहन समीक्षा करता है। खर्चों की समीक्षा में, कमियों, यदि कोई हों, उसका उल्लेख भी किया जाता है और इसे इकाइयों के प्रमुखों, इकाइयों के लेखा प्रमुखों आदि के ध्यान में भी लाया जाता है ताकि, आवश्यक बजटीय नियंत्रक एवं फंड फ्लो का कड़ाई से मॉनीटरन किया जा सके। मुख्य लेखा नियंत्रक, प्रति माह खर्च की स्थिति की समीक्षा करता है और सचिव, पऊवि को सूचित करता है।

वेतन एवं लेखा अधिकारियों द्वारा नई पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन तथा चेक आहरित करने वाले पऊवि के डीडीओ का एमआईएस के माध्यम से प्रतिमाह मॉनीटरन किया गया है। एनपीएससीएन पर एससीएफ को अपलोड करने एवं प्रतिमाह नियत तिथि को ट्रस्टी बैंक को राशि का अंतरण करना सुनिश्चित किया गया। सीजीए के अनुमोदन से लेखा और निकासी प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न मुद्दों का स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

शिकायतों के निपटान, विशेष रूप से पेंशन से संबंधित मामलों के निपटान को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। शिकायतों का शीघ्र निपटान से यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी शिकायतें लंबे समय तक लंबित नहीं रही है।

## लेखा का कंप्यूटीकरण

भारत सरकार के ई.गवर्नेंस के भाग के रूप में नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीजीए), नई दिल्ली के कार्यालय ने सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) आरंभ की है, जो वेब-आधारित ऑनलाइन लेन-देन प्रणाली है और जिसका विकास नेशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) द्वारा किया गया है तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा इसका प्रशासनिक नियंत्रण किया जाता है। पीएफएमएस का उद्देश्य, भारत सरकार की प्राप्ति एवं व्यय के लिए उपयुक्त ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) तथा निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस) स्थापित करना है।

पऊवि, "पऊवि लेखा के लिए एक समान संकलन प्रोग्राम का विकास करने की प्रक्रिया में है। प्रस्तावित पऊवि लेखा के लिए एक समान संकलन प्रोग्राम में आधारभूत एमआईएस प्रणाली, वित्त मंत्रालय की वैधानिक आवश्यकताएं, बैंकों आदि के साथ लेखाकरण की समय-सारणी तथा लेखा समाधान होगा। प्रोग्राम को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। संसाधन प्रबंधन समूह, ईगांपअकें, कलपाक्कम, पऊवि लेखा के लिए समान संकलन पैकेज तैयार कर रहा है।

नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली की आवश्यकता के अनुसार विभाग का मासिक लेखा कुछ समय के लिए टेस्ट सर्वर में एक्सएमएल फॉर्मेट के माध्यम से पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, जिसके बाद यह सीधे ही पीएफएमएस पोर्टल में लाइव अपलोड कर दिया जाएगा।

इसके साथ, मासिक लेखा, केन्द्रीय लेन-देन (एससीटी) के विवरण को ई.लेखा में अपलोड किया गया। विस्तृत मांग अनुदान (डीडीजी) को पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड किया गया है। मासिक व्यय के आंकड़े पऊवि की वेबसाइट ([www.dae.gov.in](http://www.dae.gov.in)) के प्रिंसिपल लेखा कार्यालय संबंधी मीनू में उपलब्ध है। ई.लेखा को सीधी लिंक उपलब्ध कराकर कुछ रिपोर्टें उपलब्ध कराई गई हैं।

## अध्याय-4

### 4.1 वार्षिक लेखा की मुख्य बातें


वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, अनुदान संख्या 4 - परमाणु ऊर्जा के राजस्व और पूंजी खंड के तहत परमाणु ऊर्जा विभाग को अपने धन का प्रचालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। अनुदान के तहत दी गई धनराशि ₹ 20105.38 करोड़ थी, जिसमें अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राप्त ₹ 1422.90 करोड़ की राशि शामिल है। इसमें से, वित्त मंत्रालय को ₹ 1642.02 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई थी।

### 4.2 लेखा का सार

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, अनुदान संख्या 4 - परमाणु ऊर्जा, के लिए संस्वीकृत प्रावधान ₹ 20105.38 करोड़ के विपरीत कुल व्यय ₹ 18238.36 करोड़ था। अनुदान संख्या 4 - परमाणु ऊर्जा के तहत व्यय में ₹ 12819.01 करोड़ के राजस्व व्यय और ₹ 5419.35 करोड़ का पूंजीगत व्यय शामिल है।

#### 4.2.1 वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखा का सार

(₹ करोड़ में)



टिप्पणी : अनुपूरक अनुदान सहित बजट

## अध्याय 5

### वार्षिक लेखा

#### 5.1 वित्त लेखा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत, भारत सरकार के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ-साथ केंद्र सरकार के वार्षिक लेखा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना होता है। इन लेखाओं में अनुदान हेतु प्रत्येक माँग के लिए विनियोजन लेखा तथा संघ वित्त लेखा शामिल हैं। वित्त लेखा, वर्ष के लिए केंद्र सरकार के आय और व्यय का लेखा के साथ-साथ विभिन्न लेखाओं तथा अन्य आँकड़ों में बताए गए वित्तीय परिणामों के साथ प्रस्तुत करते हैं, जो परीक्षा नामतः राजस्व और पूंजी लेखा, सार्वजनिक ऋण का लेखा और लेखा में दर्ज शेषों में से पूर्वकलित अन्य सभी देनदारियों और परिसंपत्ति के अंतर्गत आते हैं। वित्त लेखा, संसद में सरकार के सामान्य लेखाओं के संबंध में लेखापरीक्षक की प्रस्तुति है और यह केंद्र (संघ) सरकार के वित्तीय विवरणों के प्रयोजनों का कार्य करता है।

वर्ष 2016-17 के लिए केंद्र (संघ) सरकार वित्त लेखा (एससीटी) को तैयार करने के लिए विभाग द्वारा दी गई आधारभूत सामग्री को अगले पृष्ठों में स्पष्ट किया गया है।

वर्ष 2016-17 के दौरान, कुल संवितरण ₹ 22420 करोड़ था, जिसमें से भारत के संचित (समेकित) निधि के तहत ₹ 17496 करोड़ और लोक लेखा के तहत ₹ 4924 करोड़ का संवितरण किया गया था।

वर्ष 2016-17 के दौरान, कुल प्राप्ति ₹ 6856 करोड़ है, जिसमें से पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 719 करोड़ और राजस्व प्राप्ति ₹ 6137 करोड़ है। राजस्व प्राप्ति में, कर राजस्व ₹ 404 करोड़ और गैर-कर-राजस्व ₹ 5733 करोड़ है।



वित्त लेखा सभी लेन-देन के वर्गीकृत और समेकित लेखाओं को दर्शाता है।

### 5.1.1 वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निधि प्रवाह

(₹ करोड़ में)

प्राप्ति (सीआर.)	राशि	संवितरण (डीआर.)	राशि
<b>भारत की समेकित निधि ( सी.एफ.आई. )</b>		<b>भारत की समेकित निधि ( सी.एफ.आई. )</b>	
राजस्व प्राप्तियां	3513	<b>राजस्व :</b>	<b>13232</b>
		सामान्य सेवाएं	516
		आर्थिक सेवाएं	12716
ब्याज प्राप्तियां	1521	<b>पूंजी :</b>	<b>4264</b>
अन्य प्राप्तियां	1103	आर्थिक सेवाएं	4061
ऋण वसूलियाँ	719	ऋण एवं अग्रिम	203
<b>कुल (सी.एफ.आई.)</b>	<b>6856</b>	<b>कुल (सी.एफ.आई.)</b>	<b>17496</b>
<b>लोक लेखा</b>		<b>लोक लेखा</b>	
छोटी बचत एवं भविष्य निधि	497	भविष्य निधि	298
जमा एवं अग्रिम	418	जमा एवं अग्रिम	212
आरक्षित निधि	24	आरक्षित निधि	10
उचंत	14625	उचंत	4404
<b>कुल (लोक लेखा)</b>	<b>15564</b>	<b>कुल (लोक लेखा)</b>	<b>4924</b>
<b>कुल - प्राप्तियां</b>	<b>22420</b>	<b>कुल - संवितरण</b>	<b>22420</b>

5.1.2 वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निधि प्रवाह



## 5.2 वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्तियाँ का विवरण

### 5.2.1 वर्ष 2016-17 हेतु मुख्य श्रेणियों की प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	वास्तविक
1	कर राजस्व	404
2	गैर-कर राजस्व	5733
3	<b>कुल - राजस्व प्राप्तियाँ (1+2)</b>	<b>6137</b>
4	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से ऋण वसूलियाँ	709
5	सरकारी कर्मचारियों से पुनर्भुगतान	10
6	<b>कुल - पूंजी प्राप्तियाँ (4+5)</b>	<b>719</b>
7	<b>कुल - प्राप्तियाँ (3+6)</b>	<b>6856</b>

## 5.2.2 वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु कर राजस्व एवं गैर-कर राजस्व का विवरण

### कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	वास्तविक
1	0020 - कारपोरेशन कर	16
2	0021 - आय कर	388
3	<b>कुल - राजस्व कर</b>	<b>404</b>

### गैर-कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	वास्तविक
1	0049 - ब्याज प्राप्तियाँ	1521
2	0050 - लाभांश	692
3	0071 - अंशदान एवं प्राप्तियाँ	7
4	0801 - पावर	2009
5	0852 - उद्योग	1400
6	1401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	104
7	<b>कुल - गैर-कर राजस्व</b>	<b>5733</b>

### 5.2.3 समेकित निधि के अधीन संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	वास्तविक आंकड़े
	<b>राजस्व</b>	
1	ब्याज का भुगतान	146
2	पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	370
3	पावर	4544
4	उद्योग	3047
5	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	5072
6	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	10
7	सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	44
	<b>कुल - राजस्व (1 से 7 तक)</b>	<b>13233</b>
	<b>पूंजी</b>	
8	पावर परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	404
9	परमाणु ऊर्जा उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	2267
10	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	1590
11	सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण	2
	<b>कुल - पूंजी (8 से 11 तक)</b>	<b>4263</b>
	<b>कुल - संवितरण (1 से 11 तक)</b>	<b>17496</b>

### 5.3 वित्तीय लेखा वर्ष 2016-17 के लिए ऋण, प्राप्ति, प्रेषण एवं अधिशेष शीर्ष बकाया

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	दिनांक 1.4.2016 को आरंभिक जमा	वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्ति	वर्ष 2016-17 के दौरान संवितरण	दिनांक 31.3.2017 को अंतशेष
<b>भारत की समेकित निधि</b>				
<b>ऋण एवं अग्रिम</b>				
6801 - पावर प्रोजेक्ट हेतु ऋण	Dr. 307390.81	70927.23	20000.00	Dr. 256463.58
7475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण	Dr. 0.00	0.00	0.00	Dr. 0.00
7610 - सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण.	Dr. 3930.92	1018.66	216.08	Dr. 3128.34
<b>कुल - समेकित निधि</b>	<b>Dr. 311321.73</b>	<b>71945.89</b>	<b>20216.08</b>	<b>Dr. 259591.92</b>
<b>लोक लेखा</b>				
<b>लघु बचत, भविष्य निधि आदि</b>				
8008 - राष्ट्रीय लघु बचतों पर आय एवं व्यय	Dr. 19.37	0.00	0.00	Dr. 19.37
8009 - राज्य भविष्य निधि	Cr. 187104.91	48689.74	29002.46	Cr. 206792.19
8011 - बीमा एवं पेंशन निधि	Dr. 2309.08	266.17	771.47	Dr. 2814.38
8012 - विशेष जमा एवं लेखा	Cr. 390.78	0.00	0.00	Cr. 390.78
8014 - पोस्टल लाईफ इंश्योरेंस स्कीम	Cr. 4631.19	703.63	0.00	Cr. 5334.82
<b>कुल</b>	<b>Cr. 189798.43</b>	<b>49659.54</b>	<b>29773.93</b>	<b>Cr. 209684.04</b>

लेखा एक नज़र में 2016 - 2017

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	दिनांक 1.4.2016 को आरंभिक जमा	वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष 2016-17 के दौरान संवितरण	दिनांक 31.3.2017 को अंतशेष
<b>आरक्षित निधि</b>				
8115 - आरक्षित निधि का अवमूल्यन/ नवीकरण	Cr. 43334.86	2400.00	985.58	Cr. 44749.28
8121 - सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	Cr. 130.75	0.00	0.00	Cr. 130.75
<b>कुल - आरक्षित निधि</b>	<b>Cr. 43465.61</b>	<b>2400.00</b>	<b>985.58</b>	<b>Cr. 44880.03</b>
<b>जमा एवं अग्रिम</b>				
8443 - सिविल जमा	Cr. 45949.86	41847.06	21194.01	Cr. 66602.91
8550 - सिविल अग्रिम	Dr. 31.49	8.03	7.46	Dr. 30.92
<b>कुल - जमा एवं अग्रिम</b>	<b>Dr. 45918.37</b>	<b>41855.09</b>	<b>21201.47</b>	<b>Dr. 66571.99</b>
<b>उचंत एवं विविध</b>				
8658 - उचंत लेखा	Cr. 27977.20	-3965.14	14.73	Cr. 23997.33
8670 - चेक एवं बिल	Cr. 5483.58	1160.98	0.00	Cr. 6644.56
8672 - स्थायी नकद अग्रदाय (सिविल)	Dr. 22.40	1.49	2.60	Dr. 23.51
8674 - सरकार द्वारा किए गए जमानती जमा	Dr. 11808.21	-3.93	179.69	Dr. 11991.83
8675 - रिजर्व बैंक के पास जमा (सरकारी खाता समाप्त)	सरकारी खाता समाप्त	1465268.09	440232.28	सरकारी खाता समाप्त
8680 - विविध सरकारी लेखा	सरकारी खाता समाप्त	0.00	0.00	सरकारी खाता समाप्त
<b>कुल - उचंत एवं विविध</b>	<b>Cr. 6871715.10</b>	<b>1462461.49</b>	<b>440429.30</b>	<b>Cr. 7893747.28</b>
<b>कुल - लोक लेखा</b>	<b>Cr. 7150897.51</b>	<b>1556376.10</b>	<b>492390.29</b>	<b>Cr. 8214883.32</b>

## 5.4 अन्य मंत्रालयों के केंद्रीय लेनदेन (एससीटी) के विवरण में समायोजित व्यय

यद्यपि, अनुदान संख्या 4 - परमाणु ऊर्जा, पूरी तरह इस विभाग द्वारा नियंत्रित है, और अन्य मंत्रालयों द्वारा इस विभाग की ओर से व्यय करने हेतु कुछ राशि रखी गई है। वर्ष 2016-17 के दौरान, विदेश मंत्रालय ने रु. 346.87 लाख का व्यय विदेश में दो नियमित प्रतिष्ठानों यथा भारतीय दूतावास वियना और तकनीकी संपर्क मिशन, पेरिस के संबंध में किया था।

## 5.5 परमाणु ऊर्जा विभाग के केंद्रीय लेनदेन (एससीटी) के विवरण में समायोजित व्यय

प्रधान लेखा कार्यालय, पऊवि ने अन्य मंत्रालयों की तरफ से भी खर्च किया था। ये सभी व्यय पऊवि के केंद्रीय लेनदेन के विवरण के माध्यम से किए गए थे और संबंधित मंत्रालयों के विनियोजन लेखाओं में छपे थे। नीचे दिया गया विवरण ऐसे मामलों का उल्लेख करता है :

अनुदान क्र	विवरण	हजार में	जिन मंत्रालयों के लिए व्यय (बुकिंग) किया गया।
31	मुख्य शीर्ष- 2049 - ब्याज का भुगतान	146,23,53	वित्त मंत्रालय
29	मुख्य शीर्ष- 7610 - सरकारी कर्मचारियों का ऋण	2,16,08	वित्त मंत्रालय
35	मुख्य शीर्ष - 2071 - पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	369,68,09	वित्त मंत्रालय, केंद्रीय पेंशन लेखाकरण कार्यालय
35	मुख्य शीर्ष - 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	31,16	वित्त मंत्रालय, केंद्रीय पेंशन लेखाकरण कार्यालय
47	मुख्य शीर्ष - 2013 - मंत्रिपरिषद	19,14	मंत्रिमंडलीय मामले

## 5.6 विनियोजन लेखा

विनियोजन लेखा अनुमोदित राशि से विभाग द्वारा किए गए व्यय का वर्णन दर्शाता है। चरण-६ में अंतिम अनुदान की तुलना में बजट आकलन का औचित्य दिया जाता है। अगले चरणों में उपयुक्त औचित्य के साथ वास्तविक व्यय का वर्णन किया जाता है। विनियोजन लेखा की जाँच लेखा महानियंत्रक कार्यालय, लेखा परीक्षा महानिदेशक, केंद्रीय राजस्व तथा प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक (वैज्ञानिक विभाग) द्वारा की जाती है। इन एजेंसियों से प्राप्त प्रेक्षणों को समेकित किया जाता है तथा विनियोजन लेखा के अंतिम प्रारूप को मुख्य लेखा प्राधिकारी के रूप में सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किया जाता है।

विभाग के विनियोजन लेखा में अनुदान संख्या 4 - परमाणु ऊर्जा के तहत किए गए वित्तीय लेन देन का वर्णन किया जाता है। राजस्व एवं पूँजी के तहत किए जाने वाले व्यय को इसके चार्ज एवं वोटर्ड वर्गीकरण के साथ विनियोजन लेखा में वर्णित किया जाता है।

अगले पेज में दिए गए चार्ट में विभाग के दोनों अनुदानों में निधि आबंटन तथा इसके उपयोग का वर्णन किया गया है। दोनों अनुदानों के तहत हुआ व्यय बी.ई. स्तर तक नहीं पहुँचा जिससे ₹ 100 करोड़ की अतिरिक्त बचत हुई।

अनुदान संख्या 4 - परमाणु ऊर्जा के राजस्व एवं पूँजी खण्ड के तहत हुई रु. 100 करोड़ की बचत के संबंध में विवरणात्मक टिप्पणी महानिदेशक लेखा परीक्षा, केंद्रीय राजस्व की पुनरीक्षा हेतु प्रस्तुत की गई है। इसकी पुनरीक्षा होने के पश्चात इसे वित्त मंत्रालय के माध्यम से लोक लेखा समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुदान संख्या 4 - परमाणु ऊर्जा के तहत विनियोजन लेखा को अगले पृष्ठों में वर्णित किया गया है।

### 5.6.1 वर्ष 2016 - 17 हेतु मुख्य शीर्षवार विवरण


(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान 2016-17	संशोधित अनुमान 2016-17	*एफ.जी. 2016-17	वास्तविक व्यय
<b>अनुदान संख्या 4</b>				
<b>परमाणु ऊर्जा</b>				
2801 - विद्युत	4461	4546	4545	4544
2852 - उद्योग	3073	3143	3130	3073
3401 - परमाणु अनुसंधान	5069	5213	5227	5157
3451 - सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	48	48	48	45
4801 - पावर प्रोजेक्ट पर पूंजीगत परिव्यय	254	206	206	204
4861 - परमाणु ऊर्जा उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	3683	3670	3488	3425
5401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	1895	1566	1619	1590
6801 - पावर प्रोजेक्ट के लिए ऋण	200	200	200	200
<b>कुल - अनुदान सं. 4</b>	<b>18683</b>	<b>18592</b>	<b>18463</b>	<b>18238</b>

**टिप्पणी :** बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदान, पुनर्विनियोजन तथा अभ्यर्पण सहित अंतिम अनुदान

## 5.6.2 विनियोजन लेखा 2016-17 (परमाणु ऊर्जा)

(₹ करोड़ में)



## 5.7 उचंत का विवरण

उचंत खाते का प्रचालन बैंकों से होने वाले लेन-देन (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उचंत) का लेखा-जोखा रखने के लिए किया जाता है। भुगतान व लेखा कार्यालय उचंत का प्रचालन मुख्य रूप से सामरिक महत्व की परियोजनाओं से संबंधित खातों के लिए किया जाता है, जिसमें अन्य मंत्रालय के रूप में रक्षा मंत्रालय शामिल है। उचंत के प्रचालन का गहन मॉनीटरिंग किया जाता है तथा 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार इसमें शेष राशि रु. 23997.33 लाख (क्रेडिट) है।

वर्ष 2016-17 के दौरान उचंत शीर्ष के तहत किए गए लेन-देन निम्नवत हैं :

(₹ लाख में)

लेखा शीर्ष	वर्ष 2016-17 के दौरान किया गया लेन-देन			
	01.04.2016 को रोकड़ जमा	2016-17 के दौरान पावतियाँ	2016-17 के दौरान अदायगी	31.03.2017 को अंतः शेष
<b>8658 - उचंत खाता</b>				
भुगतान एवं लेखा कार्यालय व्यय	Cr. 22129.60	(-) 4850.02	0.00	Cr. 17279.58
उचंत खाता (सिविल)	Dr. 0.01	4.50	4.50	Dr. 0.01
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक	Cr. 5847.61	880.38	10.23	Cr. 6717.76
<b>कुल उचंत</b>	<b>Cr. 27977.20</b>	<b>(-) 3965.14</b>	<b>14.73</b>	<b>Cr. 23997.33</b>


## अध्याय - 6

### व्यय का मासिक रुझान

#### 6.1 सकल व्यय का मासिक रुझान (कुल)

(₹ करोड़ में)


माह	अनुदान संख्या 4
अप्रैल 2016	1056
मई	1593
जून	1401
जुलाई	874
अगस्त	2860
सितंबर	1194
अक्टूबर	1276
नवंबर	1287
दिसंबर	1222
जनवरी, 2017	1314
फरवरी	2094
मार्च	2067
<b>कुल</b>	<b>18238</b>



## 6.2 वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्या 4 (सकल) के अंतर्गत व्यय का मासिक रुझान

(₹ करोड़ में)

माह	अनुदान संख्या 4 - परमाणु ऊर्जा		
	योजना	गैर-योजना	कुल
अप्रैल, 2016	150	906	1056
मई	237	1356	1593
जून	451	950	1401
जुलाई	270	604	874
अगस्त	703	2157	2860
सितंबर	469	725	1194
अक्टूबर	271	1005	1276
नवंबर	287	1000	1287
दिसंबर	350	872	1222
जनवरी, 2017	265	1049	1314
फरवरी	325	1769	2094
मार्च	659	1408	2067
<b>कुल</b>	<b>4437</b>	<b>13801</b>	<b>18238</b>



## अध्याय 7

### वर्ष 2016-17 के दौरान की प्राप्तियाँ

#### 7.1 राजस्व प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक आंकड़े
0801 - विद्युत	3488.74	2738.58	2009.26
0852 - उद्योग	2775.63	1974.09	1400.24
1401 - आरएंडडी	55.27	97.92	103.76
<b>कुल</b>	<b>6319.64</b>	<b>4810.59</b>	<b>3513.26</b>

#### 7.2 भाग - IV के अंतर्गत समायोजित वसूलियाँ


(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक आंकड़े
<b>अनुदान संख्या 4</b>			
2852	99.30	75.06	25.79
3401	77.90	87.48	83.79
4861	142.70	1258.90	1157.98
<b>कुल</b>	<b>319.90</b>	<b>1421.44</b>	<b>1267.56</b>

### 7.3 वर्ष 2006-08 से 2016-17 तक विभागीय राजस्व प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
2007-08	2105	1840
2008-09	3178	1915
2009-10	3099	2449
2010-11	3697	3576
2011-12	3849	4000
2012-13	4318	4494
2013-14	4866	4554
2014-15	5335	4826
2015-16	5470	4562
2016-17	6320	3523




## अध्याय 8

### वित्तीय परिणाम

#### 8.1 वर्ष 2007-08 से 2016-17 के दौरान वित्तीय परिणाम (दोनों अनुदान)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट + अनुपूरक अनु.	अभ्यर्षण	अंतिम अनुदान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान पर बचत
2007-08	8492	2284	6208	6011	2481
2008-09	9187	655	8532	8484	703
2009-10	11461	564	10897	10777	684
2010-11	11942	1656	10286	10057	1885
2011-12	18813	1138	17675	17516	1297
2012-13	13917	1799	12118	11982	1935
2013-14	15125	1514	13610	13437	1688
2014-15	16147	1591	14556	14281	1866
2015-16	17703	463	17240	16380	1323
2016-17	20105	1642	18463	18238	1867




## 8.2 परमाणु ऊर्जा का पूंजी एवं राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पूंजी		राजस्व		कुल	
	बजट	वास्तविक आंकड़े	बजट	वास्तविक आंकड़े	बजट	वास्तविक आंकड़े
2007-08	2171	1707	2527	2460	4698	4167
2008-09	2260	2233	3581	3427	5841	5660
2009-10	2606	2497	4721	4569	7327	7066
2010-11	3009	2497	5100	4841	8109	7338
2011-12	3467	2644	5637	5394	9104	8038
2012-13	3831	2590	5565	5331	9396	7921
2013-14	4122	2940	6638	6440	10760	9380
2014-15	4420	3394	6830	6771	11250	10165
2015-16	4514	4041	7640	7606	12154	11647
*2016-17	7155	5419	12950	12819	20105	18238

\* नोट : अनुपूरक अनुदान सहित बजट

### 8.2.1 परमाणु ऊर्जा का पूंजी एवं राजस्व व्यय




### 8.3 नाभिकीय विद्युत योजनाओं का पूंजीगत एवं राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पूंजी		राजस्व		कुल	
	बजट	वास्तविक आंकड़े	बजट	वास्तविक आंकड़े	बजट	वास्तविक आंकड़े
2007-08	2367	1126	1427	718	3794	1844
2008-09	1707	1706	1639	1118	3346	2824
2009-10	1714	1709	2420	2002	4134	3711
2010-11	1450	398	2383	2321	3833	2719
2011-12	1088	897	8621	8581	9709	9478
2012-13	567	181	3954	3880	4521	4061
2013-14	310	291	4055	3766	4365	4057
2014-15	674	392	4223	3724	4897	4116
2015-16	1090	1089	4458	3644	5548	4733
* 2016-17	0	0	0	0	0	0

\* टिप्पणी : अनुदान सं. 4 - परमाणु ऊर्जा के तहत अनुदान सं. 5 - नाभिकीय विद्युत योजना में विलय कर दी गई है ।

### 8.3.1 नाभिकीय विद्युत योजनाओं का पूंजीगत एवं राजस्व व्यय




## 8.4 परमाणु ऊर्जा का योजनागत एवं गैर-योजना व्यय

वर्ष 2007-08 से 2016-17 तक की अवधि के लिए अनुदान सं. 4 - परमाणु ऊर्जा के तहत बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े तथा योजनागत एवं गैर-योजना व्यय नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	योजनागत		गैर-योजना		कुल	
	बजट	वास्तविक आंकड़े	बजट	वास्तविक आंकड़े	बजट	वास्तविक आंकड़े
2007-08	2147	1548	2551	2619	4698	4167
2008-09	2194	2159	3647	3501	5841	5660
2009-10	2614	2487	4713	4579	7327	7066
2010-11	3249	2581	4860	4757	8109	7338
2011-12	4008	2912	5096	5126	9104	8038
2012-13	4610	2540	4786	5381	9396	7921
2013-14	5174	3473	5586	5907	10760	9380
2014-15	4910	3461	6340	6704	11250	10165
2015-16	5000	4571	7085	7076	12085	11647
*2016-17	6200	4438	13905	13800	20105	18238




\* नोट : अनुपूरक अनुदान सहित बजट

## 8.5 नाभिकीय विद्युत योजनाओं का योजनागत एवं गैर-योजना व्यय

वर्ष 2007-08 से 2016-17 तक की अवधि के लिए अनुदान सं. 5 - नाभिकीय विद्युत योजनाओं के तहत बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े तथा योजनागत एवं गैर-योजना व्यय नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	योजनागत		गैर-योजना		कुल	
	बजट	वास्तविक आंकड़े	बजट	वास्तविक आंकड़े	बजट	वास्तविक आंकड़े
2007-08	2449	1189	1345	655	3794	1844
2008-09	1918	1918	1428	906	3346	2824
2009-10	2024	2005	2110	1706	4134	3711
2010-11	1848	708	1985	2011	3833	2719
2011-12	1609	1378	8100	8100	9709	9478
2012-13	998	572	3523	3489	4521	4061
2013-14	729	606	3636	3451	4365	4057
2014-15	970	563	3927	3553	4897	4116
2015-16	900	1164	3960	3569	4860	4733
*2016-17	0	0	0	0	0	0



\* टिप्पणी : अनुदान सं. 4 - परमाणु ऊर्जा के तहत अनुदान सं. 5 - नाभिकीय विद्युत योजना को विलय कर दी गई है ।

## अध्याय 9


### 9.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

दिनांक 31.3.2017 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश नीचे दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	दि. 31.3.2016 तक किया गया निवेश	वर्ष 2016-17 में किया गया निवेश	दि. 31.3.2017 तक कुल निवेश	लाभांश
1	इंडियन रेअर अर्थ्स लि.	86.37	0.00	86.37	0.00
2	यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1625.38	25.00	1650.38	30.64
3	इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	163.37	0.00	163.37	14.91
4	न्यूक्लियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10635.83	200.00	10835.83	646.28
5	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनि)	4357.12	4.00	4361.12	0.00
	<b>कुल</b>	<b>16868.07</b>	<b>229.00</b>	<b>17097.07</b>	<b>691.83</b>

#### 9.1.1 दिनांक 31.3.2017 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश



## अध्याय 10

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिए गए ऋण

कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना 1 तथा 2 के कार्यान्वयन के लिए रुसी परिसंघ ने क्रेडिट के रूप में ठेके की मूल्य का 85% प्रदान किया है। उपयोग किया गया क्रेडिट और जिसका पुनर्भुगतान किया जाना है, उसे एनपीसीआईएल के लिए बकाया ऋण के रूप में दर्शाया गया है।

#### 10.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिया गया ऋण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	दि. 31.3.2016 तक शेष ऋण	वर्ष 2016-17 के दौरान चुकाया गया ऋण	वर्ष 2016-17 के दौरान पुनः चुकाया गया ऋण	दि.31.3.2017 तक शेष ऋण
1	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2073.91	200.00	709.27	1564.64
2.	भाविनि	1000.00	0.00	0.00	1000.00

## अध्याय 11

### वर्ष 2016-17 के लिए क्षेत्रवार योजना एवं गैर-योजना व्यय

(₹ करोड़ में)

#### योजनागत

क्षेत्र	बजट अनुमान 2016-17	संशोधित अनुमान 2016-17	एफजी 2016-17	मार्च (एसवाय-III) 2017 तक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	एफजी पर %
आरएंडडी	3123.00	2747.00	2771.00	2724.00	87	99	98
आईएंडएम	2574.00	1440.00	1302.00	1260.00	49	88	97
पावर	503.00	456.00	456.00	454.00	90	100	100
अनुदान सं.4-परमाणु ऊर्जा	6200.00	4643.00	4529.00	4438.00	72	96	98

#### गैर-योजना

क्षेत्र	बजट अनुमान 2016-17	संशोधित अनुमान 2016-17	एफजी 2016-17	मार्च (एसवाय-III) 2017 तक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	एफजी पर %
पऊवि सचिवालय	47.00	48.00	48.00	45.00	96	94	94
आरएंडडी	3842.00	4031.00	4075.00	4024.00	105	100	99
आईएंडएम	4182.00	5373.00	5317.00	5237.00	125	97	98
पावर	4411.00	4497.00	4495.00	4494.00	102	100	100
अनुदान सं.4-परमाणु ऊर्जा	12482.00	13949.00	13935.00	13800.00	111	99	99

## अध्याय 12

### 12.1 वर्ष 2016-17 के लिए शीर्षवार व्यय

अनुदान सं. : 004-परमाणु ऊर्जा

लेखा कोड	लेखा विवरण	बजट अनुमान			वास्तविक आंकड़े		
		योजनागत	गैर-योजना	कुल	योजनागत	गैर-योजना	कुल
01	वेतन	3022.72	303634.00	306656.72	1238.68	316607.15	317845.83
02	मजदूरी	66.00	61.50	127.50	75.10	106.37	181.47
03	समयोपरि भत्ता	0.00	4137.95	4137.95	0.00	3672.96	3672.96
06	चिकित्सा उपचार	0.00	159.00	159.00	0.00	186.03	186.03
11	घरेलू यात्रा व्यय	1097.96	3933.50	5031.46	490.53	3602.55	4093.08
12	विदेशी यात्रा व्यय	571.03	748.00	1319.03	201.70	475.81	677.51
13	कार्यालय व्यय	2219.82	6881.00	9100.82	1557.52	6415.72	7973.24
14	किराया, दर एवं कर	465.00	941.85	1406.85	149.35	544.55	693.90
16	प्रकाशन	0.00	3338.00	3338.00	0.00	3119.69	3119.69
20	अन्य प्रशासनिक व्यय	30.00	518.00	548.00	0.26	384.57	384.83
21	आपूर्ति एवं सामग्री	47716.23	664839.80	712556.03	41836.10	667978.61	709814.71
24	पी.ओ.एल.	25.00	223.00	248.00	25.00	224.28	249.28
26	विज्ञापन एवं जागरुकता	2170.00	1170.40	3340.40	611.19	876.31	1487.50
27	लघु कार्य	262.00	74899.20	75161.20	183.39	74036.44	74219.83
28	व्यावसायिक सेवाएं	11215.96	29414.55	40630.51	5537.83	31432.64	36970.47
30	अन्य निविदात्मक सेवाएं	8395.00	0.00	8395.00	6038.15	0.00	6038.15
31	सहायता प्राप्त अनुदान	26879.00	31626.75	58505.75	19497.88	27393.48	46891.36
32	अंशदान	5006.00	2631.00	7637.00	2126.05	3476.75	5602.80
34	अध्येतावृत्ति / छात्रवृत्ति	0.00	2635.00	2635.00	0.00	2390.44	2390.44
35	पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	108071.00	0.00	108071.00	100511.76	0.00	100511.76

लेखा एक नज़र में 2016 - 2017

जारी है

(₹ करोड़ में)

लेखा कोड	लेखा विवरण	बजट अनुमान			वास्तविक आंकड़े		
		योजनागत	गैर-योजना	कुल	योजनागत	गैर-योजना	कुल
36	वेतन हेतु सहायता अनुदान	0.00	74060.00	74060.00	0.00	88241.58	88241.58
45	ब्याज	0.00	124000.00	124000.00	0.00	132500.00	132500.00
50	अन्य प्रभार	0.00	3346.75	3346.75	0.00	1878.50	1878.50
51	मोटर वाहन	946.93	4246.75	5193.68	349.52	2486.45	2835.97
52	मशिनरी एवं उपस्कर	125332.35	17322.00	142654.35	85978.56	8065.72	94044.28
53	मुख्य कार्य	212939.85	50.00	212989.85	133355.74	0.00	133355.74
54	निवेश	42000.00	0.00	42000.00	22900.00	0.00	22900.00
55	ऋण एवं अग्रिम	20000.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	20000.00
60	अन्य पूंजीगत व्यय	1568.15	1530.00	3098.15	1178.39	1496.66	2675.05
61	ऋास	0.00	2400.00	2400.00	0.00	2400.00	2400.00
63	अंतर लेखा अंतरण	0.00	-110500.00	-110500.00	0.00	0.00	0.00
99	सूचना प्रौद्योगिकी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	वसूलियों की कटौती	0.00	-31990.00	-31990.00	0.00	-126764.88	-126764.88
<b>कुल</b>	<b>परमाणु ऊर्जा</b>	<b>620000.00</b>	<b>1216258.00</b>	<b>1836258.00</b>	<b>443842.70</b>	<b>1253228.38</b>	<b>1697071.08</b>

## अध्याय 13

# वर्ष 2016-17 के लिए संयुक्त अनुदान को दर्शानेवाला विवरण

(₹ करोड़ में)

लेखा शीष	राशि
<b>2049- ब्याज का भुगतान</b>	
राज्य भविष्य निधि पर ब्याज	14623.53
<b>कुल: एम.एच. - 2049</b>	<b>14623.53</b>
<b>2071- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ</b>	
अधिवर्षिता एवं सेवानिवृत्ति भत्ता	92.87
पेंशन की सारांशीकृत दर	9531.46
उपादान	12204.98
पारिवारिक पेंशन	67.12
भविष्य निधि में अंशदान	746.67
छुट्टी का नकदीकरण लाभ	8018.09
सरकारी अंशदान - नयी पेंशन योजना	6306.91
<b>कुल: एम.एच. - 2071</b>	<b>36968.10</b>
<b>2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण</b>	
डिपाजिट लिंकड बीमायोजना (जीपीएफ/सीपीएफ)	29.26
के.स.क.बी.यो.	1.90
<b>कुल: एम.एच. - 2235</b>	<b>31.16</b>
<b>7610- सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण</b>	
भवन निमाण अग्रिम	24.83
मोटर वाहन को खरीदने हेतु अग्रिम	63.44
अन्य वाहन	0.48
अन्य अग्रिम	0.08
कंप्यूटर अग्रिम	127.25
<b>कुल: एम.एच. - 7610</b>	<b>216.08</b>

## अध्याय 14

### 14.1 आंतरिक निरीक्षण स्कंध

आंतरिक निरीक्षण स्कंध, विभाग और कार्यकारी अधिकारियों की लेखा प्रक्रिया में रखे जाने वाले आरंभिक लेखा अभिलेखों, सहायक रजिस्ट्रों की जाँच करने के लिए उत्तरदायी है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है, कि आरंभिक अभिलेखों को भली-भाँति रखा जा रहा है, नियमों और विनियमों का उचित अनुपालन किया जा रहा है तथा लेखाकरण और वित्तीय मामलों संबंधी पर्याप्त व्यवस्था और क्रियाविधि अपनाई जा रही है।

वार्षिक निरीक्षण हेतु अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार विभाग के नियंत्रणाधीन संघटक इकाइयों के सभी भुगतान और लेखा कार्यालयों, चेक ड्राइंग डीडीओ, उप-वेतन कार्यालयों, कार्यकारी कार्यालयों, परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रधान लेखा कार्यालय तथा सहायता प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण किया गया।

की गई कार्रवाई की टिप्पणियों, सीएंडएजी की एपीएमएस (लेखा परीक्षा पैरा मॉनीटरन प्रणाली) लेखा परीक्षा टिप्पणियों का नियमित मॉनीटरन एवं समीक्षा की जाती है। एपीएमएस पोर्टल की समीक्षा के बाद वर्तमान स्थिति को डाउनलोड करने की कार्रवाई एपीएमएस पर एटीएन से संबंधित कार्य नियमित आधार पर किया जाता है।

आईआईडब्ल्यू के निष्पादन के मूल्यांकन पर वार्षिक समीक्षा पर रिपोर्ट तैयार करना और उसे सीजीए कार्यालय में भेजना।

आईआईडब्ल्यू टीम द्वारा समीक्षा किए गए आंतरिक पैराओं वाला वार्षिक सारांश तैयार करना और पऊवि की संबंधित यूनिट को सूचनार्थ भेजना।

### 14.2 लेखा-परीक्षा उपलब्धियों हेतु निर्धारित लक्ष्य

वर्ष के दौरान लेखा-परीक्षा हेतु शेष इकाइयाँ	वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्य	वर्ष के दौरान लेखा-परीक्षा की गई इकाइयाँ	बकाया, यदि कोई हो	बकाया होने के कारण
44	44	44	शून्य	शून्य

### 14.3 वर्ष के दौरान लेखा-परीक्षा किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुदान प्राप्त संस्थाएँ तथा बैंक आदि।

यद्यपि, विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पूर्ण रूप से सहायता प्राप्त संस्थानों का अनुदान प्रतिवर्ष रु.25 लाख से अधिक होने के बावजूद वर्ष 2016-17 के दौरान निम्नलिखित सहायता प्राप्त संस्थाओं की लेखा-परीक्षा की गई :

- (क) टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी), मुंबई
- (ख) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर), मुंबई, एनसीबीएस, बेंगलोर तथा एनसीआरए, पुणे
- (ग) एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसायटी (एईईएस), मुंबई एवं हैदराबाद
- (घ) इंस्टीट्यूट ऑफ मैथेमेटिकल साइंसेस (आईएमएससी), चैन्नै
- (ङ) इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज़्मा रिसर्च (आईपीआर), गांधी नगर
- (च) सेंटर फॉर प्लाज़्मा फिजिक्स (आईपीआर), गुवाहाटी
- (छ) हरिश चन्द्र रिसर्च इंस्टीट्यूट (एचआरआई), इलाहाबाद
- (ज) इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स (आईओपी), भुवनेश्वर
- (झ) साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स (एसएनआईपी), कोलकाता
- (ञ) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एजुकेशन एंड रिसर्च (नाइसर), भुवनेश्वर
- (ट) बीबीसीआई, गुवाहाटी

## 14.4 आंतरिक लेखा-परीक्षा द्वारा की गई योजनाबद्ध समीक्षा का विवरण, यदि कोई हो।

पुराने बकाया पैरा को शीघ्रता से निपटाने हेतु संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा)/मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा लेखा प्रधानों तथा इकाइयों के प्रधानों के साथ चर्चा की गई। वर्ष 2016-17 के दौरान लेखा प्रधानों (लेखा अधिकारी तथा उसके ऊपर) की बैठकों के दौरान आईआईडब्ल्यू द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रेक्षणों तथा इन प्रेक्षणों का जल्द से जल्द अनुपालन करने की आवश्यकताओं को प्रस्तुत किया गया।

### 14.4.1 आंतरिक लेखा-परीक्षा के परिणामस्वरूप के क्षेत्र जिनमें विशेष सुधार देखे गए

आंतरिक लेखा के अभिलेखों के रख-रखाव का कार्य उचित रूप से किया जाता है। आंतरिक निरीक्षण के फलस्वरूप विगत वर्षों में निम्नलिखित क्षेत्रों में किए गए सुधार जारी रहे।

- (क) आपूर्तिकर्ता के पास लंबित बकाया अग्रिमों की समीक्षा
- (ख) बकाया राशि की समीक्षा
- (ग) सामग्री वापसी पंजिका की समीक्षा
- (घ) भंडार सामग्री के स्टॉक सत्यापन के दौरान पाई गई असंगतियों का समायोजन
- (ङ) सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 32 के तहत यथा आवश्यक 18 वर्ष के उपरांत अथवा सेवानिवृत्ति के 5 वर्ष पहले अर्हक सेवा का सत्यापन करना
- (च) छुट्टी यात्रा रियायत/यात्रा भत्ता अग्रिम का समयबद्ध समायोजन तथा जहाँ आवश्यक हो पीनल इंटररेस्ट की वसूली।
- (छ) विभागीय आवासों तथा दुकानों के आबंटन के संबंध में नियमानुसार निजी पार्टियों से लाइसेंस शुल्क तथा संबद्ध प्रभारों का एकत्रीकरण।
- (ज) विभागीय वाहनों की लॉग-बुक का रख-रखाव।

- (झ) पुस्तकालय की पुस्तकों का प्रत्यक्ष सत्यापन तथा असंगति को निपटाने हेतु आगामी कार्रवाई ।
- (ञ) बैंक गारंटी की अभिरक्षा, समीक्षा तथा उसे डिस्चार्ज करना ।
- (ट) एनपीएस अंशदान जमा करना व डाटा अपलोड करना ।
- (ठ) सुरक्षा जमा की स्थिति की समीक्षा तथा लेप्स जमा खाते में स्थानांतरित करना ।
- (ड) विभाग में दो प्रतियों में सेवा-पंजी के रख-रखाव संबंधी नए जीएफआर के उपबंध 257(2) पर निर्णय लिया गया तथा इसे कार्यान्वित किया जा रहा है ।
- (ढ) बोली प्रतिभूति तथा निष्पादन प्रतिभूति के संबंध में नए उपबंधों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है ।
- (ड़) निविदा बोलीकर्ताओं के लिए निर्धारित समय सीमा, एल1 अस्वीकारण के परिणाम तथा चर्चा आदि के बारे में सीवीसी दिशा-निर्देशों को भी सुनिश्चित किया जा रहा है ।
- (त) सेवानिवृत्ति बकाया का समयबद्ध भुगतान तथा पीपीओ को निर्धारित समय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जा रहा है ।
- (थ) वेतन निर्धारण / एमएसीपी मामलों की समीक्षा ।
- (द) परियोजनाओं / कार्यों के पूर्ण होने में विलंब ।
- (ध) उपयुक्त अनुमोदन/वित्तीय मंजूरी प्राप्त किए बिना किए गए खर्च ।
- (न) एफआरबीएम अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन ।
- (प) पऊवि द्वारा अनुमोदित चिकित्सा योजनाओं पर व्यय की समीक्षा ।
- (फ) निर्धारित पूँजियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान पाई गई असंगतियों का निपटान ।
- (ब) उपस्कर तथा मशीनरी का समयबद्ध संस्थापना एवं कमीशनन ।
- (भ) वेतन बिल पंजी (पीबीआर) का उचित रख-रखाव ।

## 14.5 ऑडिट पैरा की स्थिति

वर्ष (31.3.2016) के आरम्भ में बकाया पैरा की संख्या		वर्ष के दौरान निपटान किए पैरा की संख्या	वर्ष के दौरान प्रस्तुत पैरा की संख्या	वर्ष के अंत में बकाया पैरा की संख्या
आंतरिक ऑडिट पैरा	2049	842	828	2035
सीजीए के ऑडिट पैरा (एटीएन)	66*	26	32	72**

\* इनमें वेटिंग के लिए ऑडिट को भेजे गए 38 पैरा शामिल हैं ।

\*\* इनमें वेटिंग के लिए ऑडिट को भेजे गए 48 पैरा शामिल हैं ।

## 14.6 ऑडिट का उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र

आंतरिक निरीक्षण का उद्देश्य न केवल एकाउंटिंग प्रणाली में चूक और कमियों को बताना है बल्कि, विभाग की विभिन्न इकाइयों को सभी संभव सहायता पहुंचाना है, ताकि विभिन्न खातों के भुगतान एवं विभिन्न लेखा के अनुरक्षण के मामले में समान वित्तीय एवं एकाउंटिंग क्रियाविधि सुनिश्चित की जा सके । इस योजना की सफलता उचित क्रियाविधि अपनाए जाने की क्षमता, लेखा की नियमितता एवं परिशुद्धता सुनिश्चित किए जाने और सरकारी खर्चों में किफायत किए जा सकने वाले क्षेत्रों के संबंध में सुझाव देने पर निर्भर करेगी, जिससे सरकारी लेन-देन में बेहतर वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित हो सके ।

आंतरिक निरीक्षण विंग, विभाग और कार्यकारी कार्यालयों के लेखा एककों में रखे जा रहे प्रारम्भिक लेखा रिकार्डों, सहायक रजिस्टर की परीक्षण जांच के लिए उत्तरदायी होगा, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि नियमों और विनियमों का अनुपालन उचित प्रकार से हो रहा है और एकाउंटिंग एवं वित्तीय मामलों के संबंध में प्रणालियाँ एवं प्रक्रिया पर्याप्त हैं । आंतरिक निरीक्षण में अन्य बातों के साथ-साथ सभी लेखा रिकार्डों की जांच शामिल होगी, जिसमें निधि खातों, ऋण एवं अग्रिम तथा क्रय, सिविल कार्य से संबंधित रिकार्ड, महंगे उपकरणों और मशीनरी के इंस्टालेशन एवं प्रचालन दक्षता की समीक्षा, भंडार उपकरणों, औजारों एवं संयंत्र के

भौतिक सत्यापन से संबंधित रिकार्डों की जाँच भी शामिल है। इनके अलावा, प्रशासन द्वारा मैनटेन किए जा रहे संबंधित अभिलेखों का भी निरीक्षण किया जाता है।

बी) आंतरिक निरीक्षण विंग का कार्य-क्षेत्र काफी विस्तृत है, जिसमें चिह्नित योजना/परियोजना के बजटीय आबंटन का तरीके विद्यमान मॉनीटरन एवं मूल्यांकन का आंतरिक नियंत्रण, निधि जारी करने एवं इनका उपयोग करने का अधिकार शामिल है।

## 14.7 विशेष उपलब्धियाँ

वर्ष के दौरान, क्रय/कार्य क्रियाविधि में बड़े विचलन/चूकें बताई गईं और इकाइयों/संस्थानों द्वारा इन्हें नियमित किया गया जैसे, निविदा सूचना आमंत्रण, तकनीकी उपयुक्तता के संदर्भ में तुलनात्मक विवरण तैयार करना और यथोचित क्रय/कार्य आदेश जारी करना, बैंक गारंटी की वैधता अवधि अद्यतन करना, परियोजनाओं की संस्वीकृति के बिना किए गए खर्चों का नियमितीकरण। एनपीएस अंशदान को शीघ्र जमा करने में कर्मचारियों को सीईए, वेतन एवं भत्ते, प्रिस इत्यादि के अधिक भुगतान की वसूली पर विशेष ध्यान दिया गया। आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य एजेंसियों के पास बकाया अग्रिमों, सहायता प्राप्त इकाइयों द्वारा अन्य संस्थानों से वसूली योग्य बकाया राशि की ठीक ढंग से समीक्षा की गई।


## 14.8 आंतरिक ऑडिट द्वारा दिए गए सुझाव, यदि कोई हों, जिससे व्यय में किफायत और/या अधिक भुगतानों की वसूली

आंतरिक ऑडिट ने वेतन नियतन, छुट्टी अवधि के दौरान वेतनवृद्धि आहरण, संतान शिक्षा दावों सहित प्रतिपूर्ति न हो सकने वाली मदों, आपूर्ति/ठेकों के निष्पादन में विलंब हेतु एलडी के संबंध में हुए अधिक भुगतानों की वसूली; सहायता प्राप्त इकाइयों द्वारा संस्थानों से बकाया देय की वसूली इत्यादि में इकाइयों को सहयोग किया। आंतरिक निरीक्षण के अवलोकनों के आधार पर, व्यापारियों/वितरकों के माध्यम से प्रापण करने के बजाय सीधे विनिर्माताओं से किए गए प्रापण से आवर्ती व्यय की राशि में पर्याप्त कमी आई है।

14.8.1 तालिका I		
दिनांक 31-3-2017 को शेष आईआईडब्ल्यू रिपोर्टों तथा पैरा का वर्षवार विवरण		
रिपोर्ट जारी करने का वर्ष	रिपोर्टों की संख्या	पैरा की संख्या
2000-01 से 2008-09	58	136
2009-10	22	74
2010-11	33	115
2011-12	33	136
2012-13	36	225
2013-14	40	398
2014-15	43	583
2015-16	24	368
<b>कुल</b>	<b>289</b>	<b>2035</b>

14.8.2 तालिका - II				
वर्ष 2016-17 के दौरान आईआईडब्ल्यू पैरा/रिपोर्टों की माहवार स्थिति				
माह	आरंभिक शेष पैरा	अंत में शेष पैरा	आरंभिक शेष रिपोर्ट	अंत की शेष रिपोर्ट
अप्रैल -16	2049	2075	281	284
मई -16	2075	1993	284	283
जून -16	1993	2099	283	288
जुलाई -16	2099	2181	288	292
अगस्त -16	2181	2083	292	284
सितंबर -16	2083	2050	284	287
अक्टूबर -16	2050	2044	287	283
नवंबर -16	2044	2122	283	285
दिसंबर -16	2122	1961	285	279
जनवरी -17	1961	2059	279	289
फरवरी -17	2059	1995	289	285
मार्च -17	1995	2035	285	289

14.8.2 वर्ष 2016-17 के दौरान आईआईडब्ल्यू पैरा / रिपोर्ट की माहवार स्थिति



14.8.3 तालिका - III		
दिनांक 31-3-2017 को शेष स्टैट्यूअरी रिपोर्टों तथा पैरा का वर्षवार विवरण		
रिपोर्ट जारी करने का वर्ष	रिपोर्टों की संख्या	पैरा की संख्या
2000-01 से 2008-09	25	39
2009-10	8	26
2010-11	6	17
2011-12	10	24
2012-13	17	45
2013-14	14	48
2014-15	22	163
2015-16	18	261
2016-17	4	102
<b>कुल</b>	<b>124</b>	<b>725</b>

अनुलग्नक I

PAO एंड SPOs / DDOs की यादी

